लोक सभा सचिवालय में 1 सितंबर 2014 को हिन्दी पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

1- मुझे हिन्दी पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच आकर प्रसन्नता हो रही है। 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी भारत की राजभाषा होगी। इस संदर्भ में सर्वाधिक रूचिकर तथ्य यह है कि संविधान सभा में बहुमत अहिन्दी भाषियों का था, लेकिन फिर भी हिन्दी को सर्वसम्मति से राजभाषा घोषित किया गया। किसी प्रकार के मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने हिन्दी की क्षमता को पहचान लिया था। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राजभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर सन् 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी पखवाड़ा मनाने की परम्परा 1954 ई. से शुरू हुई जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

2- इतने वर्षों में हिन्दी ने एक भाषा के रूप में काफी लम्बी यात्रा तय की है। आज भारत के प्रायः सभी और विश्व के लगभग 110 विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की एक अरब बीस करोड़ की आबादी में से लगभग 41 प्रतिशत की मातृभाषा हिंदी है लेकिन इन आधिकारिक आंकड़ों से अलग, आज की स्थिति में हिन्दी बोलने-समझने वालों की संख्या कुल आबादी के 75 प्रतिशत से भी अधिक है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरे क्रम पर है।

3- हिन्दी भारत के स्वाभिमान की भाषा है। इसमें स्वदेशीपन का गौरव है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिन्दी का प्रचार-प्रसार जन भाषा के रूप में व आम जनता की बोल-चाल की भाषा के रूप में तेजी से हुआ है और इसमें आधुनिक संचार माध्यमों यथा हिन्दी साहित्य, संगीत एवं सिनेमा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दी अपने अंतर बल से बढ़ती जा रही है लेकिन राजभाषा के रूप में देखा जाए तो हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर

और अधिक बल देने की आवष्यकता है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग मुख्यतः तीन क्षेत्रों में अभिप्रेत है - शासन, विधान और न्यायपालिका। राजभाषा के रूप में हिन्दी की पूर्ण स्थापना में कठिनाई का कारण सरकारी कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा का क्लिष्ट होना भी है। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी शब्दावली सरल, सुगम व सहज हो और उसमें आम जनता के बोल-चाल एवं गैर-हिन्दी भाषाओं के स्वीकृत एवं प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हो ताकि राजभाषा के रूप में यह आम नागरिक के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने तथा उनकी भावनाओं एवं आकांक्षाओं को परिलक्षित करे। राजभाषा को सफल बनाने के लिए सोच, लगन और कुशलता की आवश्यकता है।

4- किसी भी राष्ट्र के लिए राजभाषा का वही महत्व है जो राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का है। राष्ट्रीय झण्डा केवल एक वस्त्र खंड नहीं है, वह राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इसी प्रकार राष्ट्रगान केवल संगीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की गूंज है जिसे सुनते ही कोटि-कोटि हृदय एक ताल पर थिरकने लगते हैं। राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से राजभाषा का भी वही महत्व है। ऐतिहासिक रूप में हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता की सूत्रधार रही है।

5- भाषा के महत्व के संदर्भ में चाणक्य का कहना था कि "भाषा किसी भी देश और समाज के चरित्र को समझने की कसौटी है।" हिन्दी की भूमिका को पहचान कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों - सुभाषचन्द्र बोस, सुब्रह्मण्यम भारती, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द आदि ने बल दिया, जबकि ये सभी अहिन्दीभाषी क्षेत्र से थे।

6- संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्देश है कि हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार और विकास किया जाए ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। जिस समय हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया था, उस समय सरकारी प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का ही वर्चस्व था। संसद में भी यही स्थिति थी। समग्र संसदीय कार्य अंग्रेजी में किए जाते थे। धीरे-धीरे महसूस किया गया कि संसदीय कार्य का निपटान सरल भाषा में किया जाए। इसी उद्देश्य से लोक सभा में संपादन और अनुवाद सेवा का गठन किया गया।

7- मुझे बताया गया है कि इस समय लोक सभा सचिवालय की हिन्दी सेवा में 200 से अधिक हिन्दीकर्मी कार्यरत हैं। भारत में एक ही दफ्तर में हिन्दीकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या शायद कहीं नहीं है। इस सेवा द्वारा संचालित हिन्दी-वेबसाइट की सामग्री तथा वाद-विवाद सारांश काफी लोकप्रिय हैं और इनके कार्य की सराहना होती है।

8- वैज्ञानिक-तकनीकी कर्मियों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। ये तकनीकी कर्मी दुनिया के विभिन्न देशों में काम करते हैं और हिन्दी के प्रसार की भूमिका निभाते हैं। हमारे देश के कलाकारों, हिन्दी सिनेमा और संगीत ने भी हिन्दी के प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे एक तरफ इन माध्यमों से हिन्दी का प्रसार हो रहा है तो दूसरी तरफ हिन्दी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का बाज़ार भी फैल रहा है, इस तरह से हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है।

9- इंटरनेट पर भी हिन्दी का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। इंटरनेट पर हिन्दी की कई वेबसाइटें हैं। हिन्दी में कई अखबार और पत्रिकाएं नेट पर उपलब्ध हैं। हिन्दी में ब्लॉग लेखक आज अच्छी रचनाएं दे रहे हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार और सामाजिक संवाद माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग दिनोंदिन बढ़ रहा है। अब तक इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलने के लिए उसका पता अंग्रेजी में टाइप करना पड़ता था, लेकिन भारत सरकार ने अगस्त 2014 से ''डॉट भारत (.भारत)'' एक्सटेंशन लांच करके उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय भाषाओं में भी वेबसाइट्स के पंजीकरण तथा इस्तेमाल की सुविधा प्रदान कर दी है। यह सुविधा हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

10- निस्संदेह, संसद की कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ा है, लेकिन सचिवालय के प्रशासनिक कार्य - नोटिंग-ड्राफ्टिंग का काम अंग्रेजी में जारी है। विषय हिन्दी की सबलता अथवा दुर्बलता का नहीं है। हिन्दी का शब्दकोश शब्दों और अभिव्यक्तियों से भरा पड़ा है। नित नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। भारत के अधिकतर लोग और कम से कम वे लोग जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, हिन्दी समझते जरूर हैं। इसलिए रोजमर्रा के कार्यों एवं सरकारी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

11- भाषा में शक्ति व्यवहार से आती है। यदि सरकारी दफ्तरों में मूल काम अधिक से अधिक हिन्दी में होने लगे तो सभी के मुख से स्वतः हिन्दी निकलेगी और कलम भी हिन्दी में चलेगी। संकोच की समस्या भी जाती रहेगी। संसार में कोई ऐसा देश नहीं, जहाँ के निवासी अपनी भाषा बोलने में संकोच का अनुभव करते हो। हिन्दी का किसी भाषा से विरोध नहीं है, किसी विदेशी भाषा से भी नहीं। विदेशी भाषा सीखनी अच्छी है, लेकिन इतनी सतर्कता जरूर होनी चाहिए कि कहीं वह भाषा हमें अपनी संस्कृति से विमुख ना कर दे। भाषा और संस्कृति में गहरा मेल होता है एवं भाषा के प्रति उदासीनता से देश की प्राण-शक्ति क्षीण होने लगती है।

12- आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हिन्दी के प्रयोग की दिशा में लोक सभा सचिवालय एक उदाहरण प्रस्तुत करे। हिन्दुस्तान की सभी संस्थाएं संसद की ओर देखती हैं। यदि यहाँ के काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग होगा तो यह सभी के लिए अनुकरणीय हो जाएगा।

13- आप सभी ने मुझे इस अवसर का भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। हिन्दी पखवाड़े के इस आयोजन के लिए मैं लोक सभा सचिवालय, विशेष रूप से संपादन और अनुवाद सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साधुवाद देती हूँ और इसके सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ।

धन्यवाद।